मध्य प्रदेश प्राइमरी और मिडिल स्तर पर मूल्यांकन के नए मानदण्ड : शैक्षिक, सह-शैक्षिक और व्यक्तिगत व्यवहार

शशि मित्तल*

भारतीय शिक्षा में मूल्यांकन शब्द परीक्षा, तनाव और दुश्चिंता से जुड़ा हुआ है। हमारी परीक्षा प्रणाली के दुष्प्रभाव सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को सार्थक और बच्चों के लिए आनंददायी बनाने के प्रयासों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। एक लंबे समय से शैक्षिक मूल्यांकन प्रक्रिया में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 ने भी वर्तमान मूल्यांकन प्रक्रिया में संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक बदलाव लाने की सिफारिश करते हुए महत्वपूर्ण अनुशंसाएँ दी हैं। प्रस्तुत लेख में मध्यप्रदेश में प्राइमरी व मिडिल स्तर पर विद्यार्थियों के मूल्यांकन में राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए कुछ परिवर्तनों की चर्चा की गई है। जिनके अनुसार अब राज्य में विद्यार्थी का सह-शैक्षिक क्षेत्रों में एतत् एवं उनके व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों का भी सतत् मूल्यांकन किया जाएगा जो अंकों के बजाय ग्रेड पद्धति से होगा।

अधिकांश शैक्षिक बोर्डों में अभी तक केवल विषयगत पाठ्यक्रम का मूल्यांकन होता रहा है। यह मूल्यांकन त्रैमासिक, छमाही और सलाना लिखित परीक्षाओं पर आधारित रहता था। इस प्रकार के मूल्यांकन में प्राय: रटी हुई सामग्री को परीक्षा भवन में कॉपी पर उलट देना मात्र था। इस संबंध में बहुत कुछ कहा जा चुका है, उसको दोहराना व्यर्थ है।

सत्र 2011-12 से मध्यप्रदेश शासन के शिक्षा विभाग ने कुछ मौलिक परिवर्तन मूल्यांकन को लेकर किए हैं।

एक तो विषयगत पाठ्यक्रम में लिखित

* *शैक्षणिक सलाहकार,* 102, पुराना हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, मुरैना, मध्यप्रदेश-4760001

परीक्षा 90 अंकों की है, 10 अंक मौखिक परीक्षा के हैं ताकि बच्चे के उच्चारण, अभिव्यक्ति, विचार, प्रगटीकरण आदि का मूल्यांकन किया जा सके। विद्यार्थियों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए अब अंकों के स्थान पर ग्रेड दिया जाएगा। अब कोई बच्चा यह नहीं कह सकेगा कि वह एक या दो अंक के कारण प्रथम आने से रह गया। यह ग्रेडिंग वर्ग (Range) में होगी। अत: एक-दो अंकों का हेर-फेर किसी विद्यार्थी को अवसाद में नहीं डालेगा।

परंतु इसके अतिरिक्त प्राइमरी और मिडिल स्तर पर जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, वह है विद्यार्थी का सह-शैक्षिक क्षेत्रों में एतत् मूल्यांकन। इसके साथ ही विद्यार्थी के व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों का भी सतत् मूल्यांकन होगा और विद्यार्थी के अंक चिह्नों में यह दर्ज होगा। यह मूल्यांकन भी ग्रेडिंग पद्धति से होगा।

सह-शैक्षिक क्षेत्रों में मूल्यांकन बिंदु इस प्रकार हैं -

	सह-शैक्षिक क्षेत्र	मूल्यांकन बिंदु	गतिविधि
1.	साहित्यिक	1. सहभागिता 2. विधानुरूप प्रस्तुति 3. आत्मविश्वास 4. मौलिकता	गीत/कहानी/अंताक्षरी भाषण/वाद-विवाद निबंध/पत्र/कविता/रिपोर्ट-लेखन पुस्तकालय का उपयोग
2.	सांस्कृतिक	1. सहभागिता 2. विधानुरूप प्रस्तुति 3. आत्मविश्वास 4. मौलिकता	गायन/वादन नृत्य/लोकनृत्य अभिनय-एकल/सामूहिक
3.	वैज्ञानिक	1. सहभागिता 2. जिज्ञासा/रुचि 3. क्रमबद्धता 4. वर्गीकरण	आस-पास की खोज परिवेश-परंपरा-प्रकृति-दर्शनीय स्थल बागवानी कंप्यूटर शिक्षा
4.	सृजनात्मक	1. सहभागिता 2. रंग संयोजन 3. कल्पनाशीलता/रूपरेखा 4. मौलिकता	कागज, मिट्टी आदि से विभिन्न आकृतियाँ व खिलौने बनाना ड्रॉइंग/पेंटिंग मेंहदी, रंगोली सिलाई-कढ़ाई-बुनाई

5.	खेलकूद योग, स्काउट/रेडक्रॉस	1. सहभागिता 2. उत्साह/टीम/खेल भावना 3. स्टेमिना 4. कुशलता	आउटडोर- कबड्डी, खो-खो, दौड़, लम्बी/ऊंची कूद, हॉकी, फुटबाल, क्रिकेट, बैंडमिंटन व स्थानीय खेल इनडोर- कैरम, लूडो, शतरंज व स्थानीय खेल कब-बुलबुल/स्काउट/गाइड रेडक्रॉस

ग्रेड देने का तरीका निम्न प्रकार से होता है:

उत्कृष्ट	ए ग्रेड	चार मूल्यांकन बिंदु पाये जाने पर
उत्तम	बी ग्रेड	तीन मूल्यांकन बिंदु पाये जाने पर
अच्छा	सी ग्रेड	दो मूल्यांकन बिंदु पाये जाने पर
सामान्य	डी ग्रेड	एक मूल्यांकन बिंदु पाये जाने पर
सुधार योग्य	ई ग्रेड	सहभागिता में नकारात्मकता

विद्यार्थी को प्रत्येक सह-शैक्षिक क्षेत्र की कम-से-कम एक गतिविधि में भाग लेना आवश्यक होगा। मूल्यांकन के लिए अवलोकन चेक लिस्ट और दस्तावेजों का सहारा लिया जा सकता है। प्रत्येक विद्यार्थी का अभिलेख मासिक कालखण्ड में सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है।

इसी प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी का मासिक स्तर पर व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों के मूल्यांकन का रिकॉर्ड रखना भी आवश्यक है। व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों के मूल्यांकन बिंदु इस प्रकार हैं–

	व्यक्तिगत व सामाजिक गुण	**गतिविधि**
1.	नियमितता	प्रतिदिन शाला में उपस्थित होना, सभी कालखण्डों में उपस्थित रहना।
2.	समयबद्धता	समय पर शाला आना-जाना। शाला-कार्य/गृहकार्य समय पर पूर्ण करना।
3.	स्वच्छता	ड्रेस, नाखून, दाँत, आँख, नाक, कान स्वच्छ रखना।
4.	अनुशासन/कर्तव्यनिष्ठा	शिक्षक द्वारा सौंपे गए कार्य पूर्ण करना। शाला/कक्षा व्यवस्थित व स्वच्छ रखना। जूते-चप्पल व अन्य सामग्री निर्धारित स्थान पर रखना। दूसरों से लड़ना-झगड़ना नहीं, शाला के नियमों का पालन।
5.	सहयोग की भावना	शिक्षक के प्रति सहयोग। सहपाठियों के प्रति सहयोग। अन्य के प्रति (माता-पिता, बड़े बुजुर्ग, समाज आदि) सहयोग।

6.	पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता	पेड़-पौधे, पशु-पक्षी, जीव-जंतुओं के प्रति संवेदनशीलता। जल संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता।
7.	नेतृत्व की क्षमता	खेल-कूद, सांस्कृतिक, साहित्यिक आदि गतिविधियों के दौरान नेतृत्व करना। कक्षा मॉनीटर, टीम लीडर, कैप्टन की भूमिका निर्वहन।
8.	सत्यवादिता	शाला/कक्षा के दौरान सदैव सच बोलना।
9.	ईमानदारी	ईमानदारी का व्यवहार प्रदर्शित करना। गुमी हुई वस्तु प्राप्त होने पर लौटा देना।
10.	अभिवृत्ति	शिक्षकों व बड़ों के प्रति सम्मान। सहपाठियों व अन्य बच्चों के प्रति सम्मान। अध्ययन के प्रति रुचि। शाला व सार्वजनिक संपत्ति के प्रति सुरक्षा भावना।

इन उपरोक्त बिंदुओं के मूल्यांकन के लिए अवलोकन उपस्थिति पंजिका, वाचन, दस्तावेज, निरीक्षण आदि का सहारा लिया जा सकता है। ग्रेड देने का तरीका निम्न प्रकार से होगा:

उत्कृष्ट	ए ग्रेड	पूर्ण अपेक्षित व्यवहार
उत्तम	बी ग्रेड	संतोषजनक व्यवहार
अच्छा	सी ग्रेड	औसत अपेक्षित व्यवहार
सामान्य	डी ग्रेड	आंशिक अपेक्षित व्यवहार
सुधार योग्य	ई ग्रेड	अनापेक्षित व्यवहार

वास्तव में आज प्रचलित मूल्यांकन पद्धति से बच्चों में अवसाद, तनाव व धक्का देकर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति को बल मिलता है। गहराई से सोचें तो इससे सामाजिक समरसता बिगड़ती है और विद्यार्थी में मानवीय गुणों का स्रोत सूख जाता है। दया, करुणा, सद्भाव, परस्पर बाँटकर किसी चीज़ का उपयोग, सहृदयता, परोपकार के स्थान पर स्पर्धा, ईर्ष्या, प्रतिद्वंद्विता की भावना बढ़ जाती है। किसी भी स्वस्थ समाज के ये लक्षण नहीं हैं। नये मूल्यांकन बिंदुओं से विद्यार्थी के वैयक्तिक गुणों के लिए उभार के अवसर मिलेंगे। साथ ही सापेक्ष मूल्यांकन के स्थान पर निरपेक्ष मूल्यांकन, अर्थात् विद्यार्थी के स्वयं के पिछले मूल्यांकन से उसके आगे का मूल्यांकन, ऐसी स्थिति में प्रतिस्पर्धा पर रोक लगेगी।

आशा है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा इस मूल्यांकन पद्धति को अन्य राज्य और परीक्षा बोर्ड भी अपनाएँगे।